O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 4396
Date 31 JAN 2024
Addl.CE
SE
CE
Section

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
सी.आई.एन:– U40108CT2003SGC015820
O/o ED (HR), CSPTCL, Raipur

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./24/2023/ 400 रायपुर, दिनांक 22/01/2024

(अपील प्र.कं. 24/2023)

अमरूता सिंह आवेदिका
रायपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 22/01/2024 को पारित)

आवेदिका अमरूता सिंह द्वारा वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रदाय नही कराया गया है का लेख करते हुए जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, के विरूद्ध सूचनाधिकार की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपील आवेदन दिनांक 02.11.2023 प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदिका द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज :–	आपके अधीन पारेषण कंपनी का कार्यालय गुढ़ियारी/डंगनिया में पदस्थ कितने अधिकारी/कर्मचारी जो मुख्यालय के बाहर से प्रति दिन आना जाना करते है अगर मुख्यालय में निवास करते है तो निवास का पता की जानकारी तथा उन अधिकारी/कर्मचारी का नाम पद और किस कार्यालय में पदस्थ है उनकी सूची।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध आवेदिका की अपील व कारण :–	चाही गई जानकारी की सूची जो आज दिनांक नही प्रदाय कराया गया है। अतः कर्मचारी/अधिकारी की सूची प्रदाय करायी जाए। प्रदाय नही कराने की दशा में छ.ग. शासन एवं उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :–	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		07.12.2023	जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए किन्तु आवेदिका अनुपस्थित रहें। अतः अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
		17.01.2024	जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए किन्तु आवेदिका पुनः अनुपस्थित रहें। अतः अपील में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।
(iv)	जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क/कथन :–		तालिका 01 में उल्लेखित जानकारी के संबंध में धारा 5(4)(5) के अंतर्गत प्रबंधक (मा.सं.)–चार से सहायता ली गई। अतएव प्राप्त सूचना के आधार पर आवेदिका को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र कमांक 5528 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से स्पीड पोस्ट के द्वारा अवगत कराया गया कि वांछित जानकारी से संबंधित अभिलेख का संधारण इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जाता है, अतः वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। यह भी अवगत कराया जाता है कि इस कार्यालय के नियंत्रण

			में गुढ़ियारी कार्यालय नहीं आने के कारण संबंधित जानकारी दिया जाना संभव नहीं हैं। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त वांछित जानकारी व्यक्तिगत होने के कारण धारा 8(1) J के तहत दिये जाने की बाध्यता नहीं है। तथापि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 10044/2010 अन्य विरूद्ध दिनांक 13.11.2019 **CPIO, Supreme Court of India v/s Subhash Chandra Agrawal** के प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी देने की बाध्यता नहीं है, छायाप्रति संलग्न है। चूंकि आवेदिका द्वारा मांगी गई जानकारी इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है। यद्यपि चाही गई जानकारी के विषयवस्तु को दृष्टिगत रखते हुए धारा 8(1)J में निहित तथ्यों के अंतर्गत जानकारी दिये जाने की बाध्यता नहीं है।

(3) – सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयांतर्गत कार्यवाही की गई है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा धारा 5(4) के पालनार्थ आवेदिका को निर्धारित समयावधि के भीतर तालिका (iv) के दृष्टिगत डंगनिया, स्थित मानव संसाधन कार्यालय की जो सूचना उपलब्ध करायी गई है वह तर्कसंगत है, जो स्वीकार्य है। यद्यपि आवेदिका द्वारा मांगी गई जानकारी इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है। तथापि उक्त जानकारी धारा 8(1) J के तहत दिये जाने की बाध्यता नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 10044/2010 अन्य विरूद्ध दिनांक 13.11.2019 CPIO, Supreme Court of India v/s Subhash Chandra Agrawal के प्रकरण में तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी देने की बाध्यता नहीं है, आदेश पारित किया गया है।

जैसा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारियॉ अपरिचित या संबंधहीन व्यक्ति को नही दी जा सकती है। चूंकि आवेदिका द्वारा गुढ़ियारी स्थित ट्रांस. कंपनी कार्यालय की जानकारी चाही गई है। गुढ़ियारी स्थित ट्रांस. कंपनी कार्यालय इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अतः भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली, के संख्या कमांक 10/2/2008– आई–आर, दिनांक 24.09.2010 के ज्ञापन में निर्दिष्ट तथ्यों के अनुसार आवेदिका गुढ़ियारी स्थित ट्रांस. कंपनी कार्यालय की जानकारी संबंधित कार्यालय में पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार प्राप्त कर सकते है।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधि सगंत कर्तव्य का वहन किया गया है। अतएव जन सूचना अधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही अधिनियम के अधीन होने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिणामतः प्रथम अपील समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक – 0771–2574700

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर।

(2) अमरूता सिंह, अनुव्रत विहार के पास, छोटा भवानी नगर, ए/2, कोटा, गुढ़ियारी, रायपुर।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर ।